रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25042022-235342
CG-MH-E-25042022-235342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2022/वैशाख 5, 1944
No. 227] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2022/VAISAKHA 5, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 अप्रैल, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

   I. विनियम 40 में, उप-विनियम (7) में, शब्द “अंतरण” के बाद और शब्दों “के संबंध में” से पहले, शब्द तथा चिह्न “और पारेषण (ट्रांसमिशन)” जोड़े जाएंगे;

II. विनियम 61 में, उप-विनियम (4) में, शब्द “अंतरण” के बाद और शब्दों “हेतु विनियम” से पहले, शब्द तथा चिह्न “और पारेषण (ट्रांसमिशन)” जोड़े जाएंगे;

III. अनुसूची-VII में,

(i) शीर्षक में, शब्दों “प्रतिभूतियों का अंतरण” के बाद, शब्द तथा चिह्न “और पारेषण (ट्रांसमिशन)” जोड़े जाएंगे;

(ii) खंड ग के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात् –

“ग. प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के पारेषण (ट्रांसमिशन) के मामले में जरूरी दस्तावेज

(1) जहाँ प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) किसी एक व्यक्ति के नाम पर हों और जहाँ नामांकन किया गया हो, वहाँ प्रतिभूतियों के पारेषण (ट्रांसमिशन) के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(क) पारेषण (ट्रांसमिशन) का निवेदन फॉर्म, जिस पर नामिती (नामनिर्देशिती / नॉमिनी) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों;

(ख) मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति जो नामिती द्वारा प्रमाणित की जाएगी और जिसका सत्यापन मूल प्रति से किया जाएगा, अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति जो नोटरी पब्लिक द्वारा या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित की गई हो;

(ग) आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए नामिती के पैन कार्ड की प्रति, जो वह स्वयं प्रमाणित करके प्रस्तुत करेगा ।

(2) जहाँ प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) किसी एक व्यक्ति के नाम पर हों और जहाँ नामांकन न किया गया हो, वहाँ प्रतिभूतियों के पारेषण (ट्रांसमिशन) के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(क) कानूनी तौर पर प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के स्वामित्व के निर्धारण और उसके दावे के संबंध में, सभी कानूनी वारिसों की ओर से समुचित मूल्य के नॉन-जूडिशल स्टांप पेपर पर शपथ-पत्र (हलफनामा / एफिडेविट), जो नोटरी करवाकर प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) के नाम का उल्लेख भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या विल के प्रोबेट या विल या प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन), जो भी लागू हो, अथवा कानूनी वारिस संबंधी प्रमाणपत्र अथवा सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे ही प्रमाणपत्र में हो, तो ऐसे कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) की ओर से केवल शपथ-पत्र (हलफनामा / एफिडेविट) ही पर्याप्त होगा;

(ख) पारेषण (ट्रांसमिशन) का निवेदन फॉर्म, जिस पर कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हों;

(ग) मृत्यु प्रमाणपत्र की मूल प्रति अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति जो कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) द्वारा प्रमाणित की जाएगी और जिसका सत्यापन मूल प्रति से किया जाएगा, अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति जो नोटरी पब्लिक द्वारा या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित की गई हो;

(घ) आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) के पैन कार्ड की प्रति, जो वह (वे) स्वयं प्रमाणित करके प्रस्तुत करेगा (करेंगे) ।

(ङ) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अनुसार उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या विल के प्रोबेट या विल या प्रशासन-पत्र (लैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन) या न्यायालय की डिक्री, जो भी लागू हो, अथवा कानूनी वारिस संबंधी प्रमाणपत्र अथवा सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे ही प्रमाणपत्र की प्रति, जो कानूनी वारिस (वारिसों) / दावेदार (दावेदारों) द्वारा प्रमाणित की जाएगी और जिसका सत्यापन मूल प्रति से किया

जाएगा, अथवा जो नोटरी पब्लिक द्वारा या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित की गई हो:

परंतु यह कि जहाँ विल अथवा कानूनी वारिस संबंधी प्रमाणपत्र अथवा सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे ही प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए, वहाँ उसके साथ उस कानूनी वारिस (उन कानूनी वारिसों) / उस दावेदार (उन दावेदारों) की ओर से क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इन्डेमनिटी बॉण्ड) [बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में] लगाया जाएगा जो नोटरी करवाकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे (जिन्हें) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) का पारेषण (ट्रांसमिशन) किया जा रहा हो:

परंतु यह और कि जहाँ कानूनी वारिस संबंधी प्रमाणपत्र या सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए ऐसे ही प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए, वहाँ उसके साथ दावा न करने वाले सभी व्यक्तियों की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी लगाया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि उन्होंने प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के पारेषण का दावा करने संबंधी अपने अधिकारों का त्याग कर दिया है;

(च) जहाँ, आवेदन किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, कागज़ी रूप में रखी प्रतिभूतियों के मामले में प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की प्रतिभूतियों का मूल्य पाँच लाख रुपये तक का हो, और डीमैट (गैर-कागज़ी) रूप में रखी प्रतिभूतियों के मामले में प्रत्येक हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) की प्रतिभूतियों का मूल्य पंद्रह लाख रुपये तक का हो, और जहाँ पैरा (ङ) में उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध न हों, उन मामलों में कानूनी वारिस / दावेदार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा (सकेंगे):

(i) सभी कानूनी वारिसों की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें यह उल्लेख होगा कि उन्हें ऐसे पारेषण (ट्रांसमिशन) से कोई आपत्ति नहीं है, या पारिवारिक समझौते के दस्तावेज (फैमिली सेटलमेंट डीड) की प्रति जिस पर सभी कानूनी वारिसों के हस्ताक्षर हों और जो नोटरी पब्लिक द्वारा या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो; और

(ii) समुचित मूल्य के नॉन-जूडिशल स्टांप पेपर पर, बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में, क्षतिपूर्ति बंधपत्र (इन्डेमनिटी बॉण्ड) जो नोटरी करवाकर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) / सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी को क्षतिपूर्ति किए जाने का उल्लेख हो:

परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, कागज़ी रूप में रखी गई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के मामले में, अपने विवेकानुसार, प्रतिभूतियों का मूल्य पाँच लाख रुपये की सीमा-रेखा से बढ़ा सकेगी।"

माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./46/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :

क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा

ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा

च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा

ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा

ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा

ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा

ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा

ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा

ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा

ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा

फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा

ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा

भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35, द्वारा

य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/42, द्वारा

कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा

कख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा

कग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा

कघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा

कङ) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th April, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,-

I. in regulation 40, in sub-regulation (7), after the word "transfer" and before the words "of securities", the words "and transmission" shall be inserted;

II. in regulation 61, in sub-regulation (4), after the word "transfer" and before the words "of securities", the words "and transmission" shall be inserted;

III. in Schedule VII,

(i) in the heading, after the word "TRANSFER" and before the words "OF SECURITIES", the words "AND TRANSMISSION" shall be inserted;

(ii) clause C shall be substituted with the following, namely –

"C. Documentation requirements in case of transmission of securities.

(1) In case of transmission of securities, where the securities are held in single name with nomination, the following documents shall be submitted:

(a) duly signed transmission request form by the nominee;

(b) original death certificate or copy of death certificate attested by the nominee subject to verification with the original or copy of death certificate duly attested by a notary public or by a Gazetted Officer;

(c) self-attested copy of the Permanent Account Number card of the nominee, issued by the Income Tax Department.

(2) In case of transmission of securities, where the securities are held in single name without nomination, the following documents shall be submitted:

(a) a notarized affidavit from all legal heir(s) made on non-judicial stamp paper of appropriate value, to the effect of identification and claim of legal ownership to the securities:

Provided that in case the legal heir(s)/claimant(s) are named in the Succession Certificate or Probate of Will or Will or Letter of Administration as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) or Legal Heirship Certificate or its equivalent certificate issued by a competent Government Authority, an affidavit from such legal heir(s)/claimant(s) alone shall be sufficient;

(b) duly signed transmission request form by the legal heir(s)/claimant(s);

(c) original death certificate or copy of death certificate attested by the legal heir(s)/claimant(s) subject to verification with the original or copy of death certificate duly attested by a notary public or by a Gazetted Officer;

(d) self-attested copy of the Permanent Account Number card of the legal heir(s)/claimant(s), issued by the Income Tax Department;

(e) a copy of Succession Certificate or Probate of Will or Will or Letter of Administration or Court Decree as may be applicable in terms of Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) or Legal Heirship Certificate or its equivalent certificate issued by a competent Government Authority, attested by the legal heir(s)/claimant(s) subject to verification with the original or duly attested by a notary public or by a Gazetted Officer:

Provided that in a case where a copy of Will or a Legal Heirship Certificate or its equivalent certificate issued by a competent Government Authority is submitted, the same shall be accompanied with a notarized indemnity bond from the legal heir(s) /claimant(s) to whom the securities are transmitted, in the format specified by the Board:

Provided further that in a case where a copy of Legal Heirship Certificate or its equivalent certificate issued by a competent Government Authority is submitted, the same shall also be accompanied with a No Objection from all non-claimants, stating that they have relinquished their rights to the claim for transmission of securities;

(f) for cases where value of securities is up to rupees five lakhs per listed entity in case of securities held in physical mode, and up to rupees fifteen lakhs per beneficial owner in case of securities held in dematerialized mode, as on date of application, and where the documents mentioned in para (e) are not available, the legal heir(s) /claimant(s) may submit the following documents:

(i) no objection certificate from all legal heir(s) stating that they do not object to such transmission or copy of family settlement deed executed by all the legal heirs duly attested by a notary public or by a Gazetted Officer; and

(ii) a notarized indemnity bond made on non-judicial stamp paper of appropriate value, indemnifying the Share Transfer Agent/ listed entity, in the format specified by the Board:

Provided that the listed entity may, at its discretion, enhance the value of securities from the threshold limit of rupees five lakhs, in case of securities held in physical mode."

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./46/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on September 2, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.

2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:

   a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.

   b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.

   c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008.

d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.

e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/ LAD/NRO/GN/2016-17/029.

f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/ NRO/GN/2016-17/38.

g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.

i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.

j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.

k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.

l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/12.

o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.

q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.

r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/02.

s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/25.

u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.

v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/02.

w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/22.

x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.

z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/42.

aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.

ab) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.

ac) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.

ad) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2022/76.

ae) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2022/79.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.25 22:09:34 +05'30'